कार्यालय महालेखाकार (ऑडिट–II) उ0प्र0

टीसी–35–V–1, ऑडिट भवन, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ – 226010

पत्र संख्या म0ले0(ऑडिट–II)/जी0डी0/स0जा0स0/1057 दिनांक 27.10.2022

कार्यालय आदेश

मुख्यालय के परिपत्र सं0 **PD(P)/Vig./VAW/2022** दिनांक 28.09.2022 द्वारा अग्रेषित केन्द्रीय सतर्कता आयोग के परिपत्र सं0 022/VGL/029/524696 दिनांक 09.09.2022 के अनुपालन में कार्यालय में दिनांक 31.10.2022 से 06.11.2022 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह का आयोजन किया जायेगा। इस संबंध में प्रस्तावित कार्यक्रमों की रूपरेखा निम्न प्रकार से होगी–

क्र0सं0	दिनांक एवं समय	कार्यक्रम
1	31.10.2022 प्रातः 11:00 बजे	सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा सम्मिलित रूप से सत्यनिष्ठा प्रतिज्ञा लेना (शपथ का प्रारूप संलग्न है)। सतर्कता जागरूकता सप्ताह के संबंध में कार्यालय में प्रचार–प्रसार।
2	01.11.2022 सायं 03:00 बजे	इस वर्ष की सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2022 की थीम **"Corruption free India for a developed Nation"** विषय पर अधिकारियों/कर्मचारियों के प्रतिभाग द्वारा भाषण प्रतियोगिता का कार्यक्रम। (स्थानः पंचम तल, सभागार)
3	02.11.2022 सायं 03:00 बजे	इस वर्ष की सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2022 की थीम **"Corruption free India for a developed Nation"** विषय पर अधिकारियों/कर्मचारियों के प्रतिभाग द्वारा प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का कार्यक्रम। (स्थानः पंचम तल, प्रशिक्षण कक्ष)
4	03.11.2022 सायं 03:00 बजे	इस वर्ष की सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2022 की थीम **"Corruption free India for a developed Nation"** विषय पर अधिकारियों/कर्मचारियों के प्रतिभाग द्वारा निबन्ध प्रतियोगिता का कार्यक्रम। (स्थानः पंचम तल, प्रशिक्षण कक्ष)
5	04.11.2022 सायं 03:00 बजे	इस वर्ष की सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2022 की थीम **"Corruption free India for a developed Nation"** विषय पर अधिकारियों/कर्मचारियों के प्रतिभाग द्वारा स्लोगन प्रतियोगिता का कार्यक्रम। (स्थानः पंचम तल, प्रशिक्षण कक्ष)
5	07.11.2022 सायं 04:30 बजे	सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2022 का समापन एवं पुरस्कार वितरण। (स्थानः पंचम तल, सभागार)

सभी अधिकारियों/कर्मचारियों से अपेक्षित है कि वे पूर्वोक्त तालिका में वर्णित प्रतियोगिताओं में बढ़–चढ़ कर हिस्सा लें। इस हेतु वे अपना नाम सामान्य प्रशासन अनुभाग में दे सकते हैं।

ह0

वरिष्ठ उप महालेखाकार/प्रशासन

पत्र संख्या म0ले0(ऑडिट–II)/जी0डी0/स0जा0स0/1063 दिनांक .10.2022

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. सचिव, महालेखाकार (ऑडिट–II) उ0प्र0, लखनऊ।
2. वरिष्ठ उप महालेखाकार/प्रशासन, ए0एम0जी0–IV
3. वरिष्ठ उप महालेखाकार /ए0एम0जी0–I एवं II
4. वरिष्ठ उप महालेखाकार /ए0एम0जी0–III

5. व0ले0प0अ0/प्रशासन, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि वे कृपया संलग्न **Format 1C (Record Management) and Format 1F (Disposal of Complaints)** से संबंधित सूचना जी0डी0 अनुभाग को अधिकतम 20.11.2022 तक उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
6. व0ले0प0अ0/आई0टी0, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि वे कृपया संलग्न **Format 1D (Technological Initiatives)** से संबंधित सूचना जी0डी0 अनुभाग को अधिकतम 20.11.2022 तक उपलब्ध कराने का कष्ट करें साथ ही साथ सभी अधिकारियों/कर्मचारियों के व्यक्तिगत ई-मेल पर सत्यनिष्ठा प्रतिज्ञा प्रेषित कराने तथा जागरूकता सप्ताह आयोजन की सूचना एवं सत्यनिष्ठा प्रतिज्ञा संलग्नक 'क' एवं 'ख' को कार्यालय की वेबसाइट पर प्रदर्शित कराने का कष्ट भी करें।
7. व0ले0प0अ0/कन्ट्रोल, ए0एम0जी0–**I, II, III** एवं **IV**, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि वे कृपया संलग्न **Format 1E (Updation of Guidelines/Circulars)** से संबंधित सूचना जी0डी0 अनुभाग को अधिकतम 20.11.2022 तक उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
8. सभी वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी (मुख्यालय) को इस आशय से प्रेषित कि वे अपने अधीनस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों को सभी कार्यक्रमों में उत्साहपूर्वक सम्मिलित होने के लिए अपने स्तर पर निर्देशित करने का कष्ट करें।
9. व0ले0प0अ0/प्रशासन, शाखा कार्यालय, प्रयागराज।
10. सूचना पट्ट, लखनऊ कार्यालय

27.10.22

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/सामान्य प्रशासन

अनुलग्नक 'क'

नागरिकों के लिए सत्यनिष्ठा प्रतिज्ञा

मेरा विश्वास है कि हमारे देश की आर्थिक, राजनीतिक तथा सामाजिक प्रगति में भ्रष्टाचार एक बड़ी बाधा है।

मेरा विश्वास है कि भ्रष्टाचार का उन्मूलन करने के लिए सभी संबंधित पक्षों जैसे सरकार, नागरिकों तथा निजी क्षेत्र को एक साथ मिल कर कार्य करने की आवश्यकता है।

मेरा मानना है कि प्रत्येक नागरिक को सतर्क होना चाहिए तथा उसे सदैव ईमानदारी तथा सत्यनिष्ठा के उच्चतम मानकों के प्रति वचनबद्ध होना चाहिए तथा भ्रष्टाचार के विरूद्ध संघर्ष में सहयोग देना चाहिए।

अतः, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि:-

- जीवन के सभी क्षेत्रों में ईमानदारी तथा कानून के नियमों का पालन करूँगा;
- ना तो रिश्वत लूँगा और ना ही रिश्वत दूँगा;
- सभी कार्य ईमानदारी तथा पारदर्शी रीति से करूँगा;
- जनहित में कार्य करूँगा;
- अपने निजी आचरण में ईमानदारी दिखाकर उदाहरण प्रस्तुत करूँगा;
- भ्रष्टाचार की किसी भी घटना की रिपोर्ट उचित एजेंसी को दूँगा।

अनुलग्नक `ख`

संगठनों के लिए सत्यनिष्ठा प्रतिज्ञा

हमारा विश्वास है कि हमारे देश की आर्थिक, राजनीतिक तथा सामाजिक प्रगति में भ्रष्टाचार एक बड़ी बाधा है।

हमारा विश्वास है कि भ्रष्टाचार का उन्मूलन करने के लिए सभी संबंधित पक्षों जैसे सरकार, नागरिकों तथा निजी क्षेत्र को एक साथ मिल कर कार्य करने की आवश्यकता है।

इस दिशा में स्वयं को एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करने तथा रक्षोपाय, सत्यनिष्ठा ढांचा तथा नीति-संहिता स्थापित करने के अपने उत्तरदायित्व को हम स्वीकार करते हैं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि हम किसी भी भ्रष्ट आचरण का हिस्सा नहीं हैं तथा भ्रष्टाचार के दृष्टांतों पर हम अत्यधिक सख्ती से कार्रवाई करते हैं।

हम मानते हैं कि भ्रष्टाचार उन्मूलन करने में तथा अपने कार्यों के सभी पहलुओं में सत्यनिष्ठा, पारदर्शिता तथा सुशासन के उच्चतम मानक बनाए रखने के लिए, एक संगठन होने के नाते हमें सामने से नेतृत्व करना होगा।

अत:, हम प्रतिज्ञा करते हैं कि :-

- हम नीतिपरक कार्य पद्धतियों को बढ़ावा देंगे तथा ईमानदारी और सत्यनिष्ठा की संस्कृति को प्रोत्साहन देंगे;
- हम ना तो रिश्वत देंगे और ना ही रिश्वत लेंगे;
- हम पारदर्शिता, जिम्मेवारी तथा निष्पक्षता पर आधारित निगमित सुशासन की प्रतिज्ञा करते हैं;
- हम कार्यों के संचालन में संबद्ध कानूनों, नियमावलियों तथा अनुपालन प्रक्रियाओं का पालन करेंगे;
- हम अपने सभी कर्मचारियों के लिए एक नीति-संहिता अपनाएंगे;
- हम अपने कर्मचारियों को उनके कर्तव्यों के ईमानदार निष्पादन के लिए, उनके कार्य से संबद्ध नियमों, विनियमों आदि के बारे में सुग्राही बनाएंगे;
- हम समस्याओं तथा कपटपूर्ण कार्यकलापों की सूचना देने के लिए समस्या समाधान तथा सूचना प्रदाता तंत्र उपलब्ध कराएंगे;
- हम संबंधित पक्षों तथा समाज के अधिकारों एवं हितों का समग्र रूप से संरक्षण करेंगे।